



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052024-254274  
CG-DL-E-21052024-254274

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]  
No. 356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

नं.एनईआईजीआर-ई. III/5/2022 /पीटी-I.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निम्न गुप ए, गुप बी एवं गुप सी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हेतु सृजित पदों के लिए आर.आर.एस	
क्रम सं	पदों के नाम
1	मेकेनिक (एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन)
2	तकनीशियन (ओटी)
3	तकनीकी सहायक (ओटी)
4	तकनीशियन एंडोस्कोपी / कोलोनुस्कोपी
5	तकनीशियन (परमाणु चिकित्सा)
इंजीनियरिंग अनुभाग हेतु आरआरएस	
1	अधीक्षण अभियंता

2	कार्यकारी अभियंता (सिविल)
3	सहायक अभियंता (सिविल)
4	सहायक अभियंता (विद्युत)
5	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
6	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
7	वरिष्ठ बायो-मेडिकल अभियंता
8	बायो-मेडिकल अभियंता
9	वायरमैन
<b>स्टोर एवं खरीद अनुभाग हेतु आरआर</b>	
1	वरिष्ठ भंडार अधिकारी
<b>लेखा प्रभाग हेतु आरआरएस</b>	
1	उप वित्तीय सलाहकार
2	लेखा अधिकारी
3	लेखा सहायक (तत्कालीन कैशियर)
<b>प्रशासनिक प्रभाग हेतु आरआर</b>	
1	प्रशासनिक अधिकारी
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
3	कार्यालय अधीक्षक
4	अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी)
<b>सीएसएसडी अनुभाग हेतु आरआरएस</b>	
1	सीएसएसडी अधिकारी
2	सीएसएसडी सहायक ग्रेड - I
3	सीएसएसडी सहायक ग्रेड - II
<b>भौतिक चिकित्सक केडर हेतु आरआरएस</b>	
1	अधीक्षक भौतिक चिकित्सक (तत्कालीन प्रधान चिकित्सक)
2	भौतिक चिकित्सक
<b>व्यावसायिक थेरेपिस्ट केडर हेतु आरआरएस</b>	
1	वरिष्ठ व्यावसायिक थेरेपिस्ट
2	व्यावसायिक थेरेपिस्ट

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप ए, बी एवं सी पदों के लिए भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता - वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मैकेनिक (एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 02	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिचीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में न्यूनतम 12 महीने का डिप्लोमा या आईटी आई प्रमाणपत्र अथवा किसी प्रतिष्ठित	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

कंपनी या एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंजीनियरों के संगठन में दो साल की प्रशिक्षुता प्राप्त किया हो। 3. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की स्थापना और रखरखाव में 1 (एक) वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।			
--	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> </ol> (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन (ओटी)	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
i. मानव विज्ञान/जीवन विज्ञान/चिकित्सा प्रौद्योगिकी ऑपरेशन थिएटर पाठ्यक्रम या समकक्ष में बीएससी	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा। उपरोक्त दोनों न हो पाने की स्थिति पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>ii. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव अथवा</p> <p>i. (थिएटर टेक्नोलॉजी) में बीएससी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में प्रशिक्षण सहित उसके समकक्ष में कोई डिग्री हासिल की हो।</p> <p>ii. संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। अथवा</p> <p>I. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ 10+2 और थिएटर टेक्नोलॉजी में दो साल का डिप्लोमा।</p> <p>II. किसी प्रतिष्ठित संस्थान में ओटी, आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में तकनीशियन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।</p>			
---	--	--	--

<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाना है</p>	<p>यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में तकनीकी सहायक (ओटी) और ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी):</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 या समकक्ष</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

<p>में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा के साथ और</p> <p>ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीकी सहायक (ओटी)	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 05	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
मानव विज्ञान/जीवन विज्ञान/चिकित्सा प्रौद्योगिकी ऑपरेशन थिएटर कोर्स में बीएससी या समकक्ष या बीएससी (थिएटर टेक्नोलॉजी) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से	नहीं	सीधी भर्ती व पदोन्नति पाने वाला के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।

आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में प्रशिक्षण सहित समकक्ष। या I किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ 10+2 और थिएटर टेक्नोलॉजी में दो साल का डिप्लोमा II किसी प्रतिष्ठित संस्थान में ओटी, आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में तकनीशियन के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।			
---	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 में ओटी सहायक ग्रेड II, ग्रेड में 13 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन एंडोस्कोपी / कोलोनोस्कोपी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
I. विज्ञान विषय के साथ 10+2 पास किया हो। II. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में बीएससी/डिप्लोमा। III. संबंधित (एंडोस्कोपी/कोलोनो-स्कोपी) क्षेत्र में अस्पताल में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन (परमाणु चिकित्सा)	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)



सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
i. किसी भी विषय में बी.एससी ii. एमएससी (नाभिकीय औषधि) iii. विकिरण सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र या i. किसी भी विषय में बी.एससी ii. मेडिकल रेडिएशन और आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा (डीएमआरआईटी) पाठ्यक्रम या समकक्ष iii. विकिरण सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अधीक्षण अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 13	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में कार्यकारी अभियंता (सिविल)/कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) और ग्रेड में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

<p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12/11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5/10 वर्ष की सेवा के साथ और</p> <p>ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की स्थिति में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यकारी अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में	नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	समग्र विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

स्नातक की डिग्री के साथ प्लेनिंग डिजाइनिंग और निर्माण कार्य में 07 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।			
--	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p><b>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति</b></p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना।</p> <p>3. मूल संवर्ग/विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 09 वर्ष की सेवा के साथ और</p> <p>ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>ग्रेड में 09 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में विभागीय सहायक</p>	<p>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

<p>अभियंता (सिविल) को भी प्रतिनियुक्ति के साथ माना जाएगा और यदि उसका चयन किया जाता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर  निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की ब्रूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ प्लेनिंग डिजाइनिंग और निर्माण कार्य में 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	समग्र विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है</p>	<p>यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
11	12	13
<p><b>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति</b></p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना।</p> <p>और</p> <p>ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए</p> <p><b>टिप्पणी:</b>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में विभागीय उम्मीदवार (जूनियर इंजीनियर (सिविल)) को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है; इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)- सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक अभियंता (विद्युत)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ 3 साल का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?		भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13	
<p><b>पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) और ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं	

<p>2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना</p> <p>और</p> <p>ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।</p>	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।



पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रिकल/एलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से इलैक्ट्रिकल/एलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ बायो- मेडिकल अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
1. बी.टेक/बी.ई. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में या	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	समग्र विधि: (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)/पदोन्नति, अन्यथा सीधी भर्ती

बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।			द्वारा।
2. चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव में चिकित्सा संस्थान में संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)/पदोन्नति:</p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा प्रदान करना तथा</p> <p>ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>विभागीय बायो-मेडिकल इंजीनियर जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के ग्रेड में 5 साल की</p>	<p>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, –सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	<p>लागू नहीं</p>

<p>नियमित सेवा प्रदान कर चुके हो, उन्हें भी प्रतिनियुक्ति के साथ माना जाएगा और यदि उसका चयन किया जाता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
बायो-मेडिकल अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p>1 बी.टेक/बी.ई. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में या बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p>2 चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव में चिकित्सा संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।</p>	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स अध्यक्ष -</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) सदस्य -</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य* -</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य -</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स सचिव - सदस्य</li> </ol> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वायरमैन	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 02	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष।</li> <li>दो साल के फील्ड अनुभव के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा या</li> </ol>	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विद्युत पर्यवेक्षी सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।			
--	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, - सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ भंडार अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) द्वारा:

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)/पदोन्नति:</p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी.:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों पर कार्य करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना और</p> <p>ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:</p> <p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री;</p> <p>ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष; और</p> <p>iii. भंडार, विशेषकर चिकित्सा संबंधी के पर्यवेक्षण क्षमता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के</p>	<p>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	<p>लागू नहीं</p>

<p>लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 में विभागीय उम्मीदवार स्टोर अधिकारी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है: तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p>		
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
उप वित्तीय सलाहकार	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 12 (मूल वेतनमान पे मैट्रिक्स का लेवल-13 है और वेतनमान जुलाई 2024 तक लेवल-12 पर डाउनग्रेड कर दिया गया है)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित वित्त/लेखा सेवाओं या अधीनस्थ वित्त/लेखा सेवाओं में से किसी के अधिकारी या केंद्रीय वैधानिक/स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के वित्त/ लेखा विभागों के अधिकारी:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. एएस एवं एफए - अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</li> <li>3. निदेशक, नीग्रिम्स - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं



<p>क)</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों पर कार्य करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या</p> <p>3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

**नोट:** यदि उक्त पद का वेतन स्तर **13** पर बहाल किया जाता है तो उप वित्तीय सलाहकार के ये भर्ती नियम जुलाई, **2024** तक वैध हैं। यदि पद को वेतन स्तर - **12** पर डाउनग्रेड रखा जाता है तो ये भर्ती नियम जारी रहेंगे।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो।</li> <li>2. केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों / स्वायत्त संगठनों / वैधानिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत पे मैट्रिक्स के 8 में किसी कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी या समकक्ष के रूप में लेखांकन में 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या</li> <li>3. केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत किसी कार्यालय में पे मैट्रिक्स के 7 में सहायक लेखा अधिकारी या समकक्ष के रूप में लेखांकन में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।</li> <li>4. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</li> </ol>	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: संस्थान के सहायक लेखा अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 में 5 साल की नियमित सेवा और	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,</li> </ol>	लागू नहीं

<p>आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 8 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 4 साल की सेवा प्रदान की हो</p> <p>या</p> <p>3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा प्रदान की हो और</p> <p>ख) अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>सदस्य</p> <p>(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा सहायक	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	लागू नहीं	2 (दो) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> </ol> (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रशासनिक अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	पदोन्नति के मामले में चयन	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। II. वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो। III. किसी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान में स्थापना और प्रशासनिक कार्य में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा और ऐसा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<b>पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 में संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने 5 (पाँच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*	लागू नहीं

<p>प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 08 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 04 वर्ष की सेवा प्रदान करना या</p> <p>3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ</p> <p>ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स सचिव – सदस्य</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	
--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b> संस्थान के कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मेडिकल संस्थान/कॉलेज से संबंधित केंद्र सरकार के नियम के अच्छे ज्ञान के साथ मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 06 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ</p> <p>ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

उचित योग्यता और अनुभव रहा हो। <b>टिप्पणी:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यालय अधीक्षक	14* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	पदोन्नति के मामले में चयन	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। II. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 या समकक्ष के तहत अपर डिवीजन क्लर्क या समकक्ष के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हो।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।



वांछित: कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त की हो।			
---	--	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b> संस्थान के यूडीसी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में 10 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा के साथ</p> <p>ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव रहा हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	<p>लागू नहीं</p>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी)	21* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	पदोन्नति के मामले में गैर चयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p>II. कंप्यूटर एप्लीकेशन में दक्ष हो।</p> <p>III. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द टाइपिंग की गति हो।</p> <p>(नोट: 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन में 10,500 केडीपीएच के अनुरूप है)।</p>	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: संस्थान के एलडीसी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 2 में 8 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य</li> </ol> <p>(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p>	लागू नहीं

<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 8 साल की सेवा के साथ या</p> <p>ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	
--	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	पदोन्नति के मामले में चयन। सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>1. एम.एससी माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी) की डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p>2. किसी अस्पताल/अनुसंधान संगठन या किसी फार्मास्युटिकल संगठन में सेंट्रल स्टरलाइजेशन (सीएसएसडी) या ऑपरेशन थिएटर में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।</p>	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<p><b>पदोन्नति:</b> सीएसएसडी पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 6 ग्रेड में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>2. सीएसएसडी पर्यवेक्षक, जिन्होंने मूल कैडर/विभाग में</p>	<p>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

<p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 05 वर्ष की सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड - I	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	पदोन्नति के मामले में गैर चयनित। सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>किसी अस्पताल के सीएसएसडी या अस्पताल में फार्मास्युटिकल या ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव के साथ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी) की</p>	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<p>डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p>या</p> <p>I. नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर/सीएसएसडी में 1 वर्ष के अनुभव प्राप्त किया हो।</p> <p>II. भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>या</p> <p>थिएटर असिस्टेंट कोर्स / सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स के साथ सीएसएसडी / ऑपरेशन थिएटर में 2 साल का अनुभव प्राप्त किया हो</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास किया हो और किसी भी अस्पताल में सीएसएसडी ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।</p>		
---	--	--

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: सीएसएसडी सहायक ग्रेड- II, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा के प्रदान की हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड - II	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 2	लागू नहीं।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>थिएटर असिस्टेंट कोर्स/सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स के साथ सीएसएसडी/ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास की हो और किसी भी अस्पताल में सीएसएसडी ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।</p>	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य</li> </ol> <p>(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p>	लागू नहीं

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अधीक्षक भौतिक चिकित्सक	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में 12 (बारह) साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं



पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
भौतिक चिकित्सक	07* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिरीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में डिग्री प्राप्त की हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा के साथ अस्पताल में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ – सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है) 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ व्यावसायिक थैरेपिस्ट	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	लागू नहीं

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: व्यावसायिक चिकित्सक जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में और ग्रेड में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स अध्यक्ष -</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य* -</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स सचिव - सदस्य</li> </ol> (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
व्यावसायिक थेरेपिस्ट	02* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक थेरेपी में डिप्लोमा के साथ अस्पताल में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा./123/2024-25]

**NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND MEDICAL  
SCIENCES, SHILLONG**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2024

**No. NEIGR-E.III/5/2022/Pt-I.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, to the following Group A, B & 'C' posts namely:-

<b>RRs for posts created for Regional Cancer Centre</b>	
<b>Sl. No.</b>	<b>Name of post</b>
1	Mechanic (Air Conditioning & Refrigeration)
2	Technician (OT)
3	Technical Assistant (OT)
4	Technician Endoscopy / Colonoscopy
5	Technician (Nuclear Medicine)
<b>RRs for Engineering Section</b>	
1	Superintending Engineer
2	Executive Engineer (Civil)
3	Assistant Engineer (Civil)
4	Assistant Engineer (Electrical)
5	Junior Engineer (Civil)
6	Junior Engineer (Electrical)
7	Senior Bio-Medical Engineer
8	Bio-Medical Engineer
9	Wireman
<b>RR for Store &amp; Procurement Section</b>	
1	Senior Stores Officer
<b>RRs for Accounts Division</b>	
1	Deputy Financial Adviser
2	Accounts Officer
3	Accounting Assistant (erstwhile Cashier)
<b>RRs for Administrative Division</b>	
1	Administrative Officer
2	Assistant Administrative Officer
3	Office Superintendent
4	Upper Division Clerk (UDC)
<b>RRs for CSSD Section</b>	
1	CSSD Officer
2	CSSD Assistant Grade – I
3	CSSD Assistant Grade – II

<b>RRs for Physiotherapist Cadre</b>	
1	Superintendent Physiotherapist (erstwhile Chief Physiotherapist)
2	Physiotherapist
<b>RRs for Occupational Therapist Cadre</b>	
1	Senior Occupational Therapist
2	Occupational Therapist

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – A & B posts Recruitment amendment Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** – No person,
  - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
  - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:  
  
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule
- Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Mechanic (Air Conditioning &amp; Refrigeration)</b>	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<b>Essential:</b> 1. Matriculation or equivalent from a recognized Board. 2. Diploma or ITI Certificate in Refrigeration & Air Conditioning from a recognized Institute/polytechnic of a minimum of 12 months. <b>OR</b> Two years' apprenticeship in a reputed firm or organization of Air Conditioning and Refrigeration Engineers. 3. 1 (one) year experience in installation and maintenance of Refrigeration and Air Conditioning.	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technician (OT)	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Promotion: Selection  Direct Recruitment / Deputation: Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. B.Sc. in Human Science / Life Science / Medical Technology Operation Theatre Course or equivalent ii. 2 years' experience in the concerned field <b>OR</b> i. B.Sc. (Theatre Technology) or equivalent including training in ICU, Manifold Room and CSSD from a recognized Institution / University. ii. 2 years experience in the concerned field. <b>OR</b> i. 10+2 with Science and two years Diploma in Theatre Technology from a recognized Institution / University. ii. 3 year experience as Technician in OT, ICU, Manifold room and CSSD in a reputed Institution.	No	Two years for direct recruit and promotees	By promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<b>Promotion:</b> Technical Assistant (OT) in Level 5 of Pay Matrix with 6 years of regular service in the grade. <b>Deputation (ISTC):</b> Officers of the Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution:	1. Director, NEIGRIHMS -Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member*	Not applicable

<p><b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department: or</p> <p>2. With 06 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 5 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and</p> <p><b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	
---	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Technical Assistant (OT)</b>	4* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level - 5 of Pay Matrix	Promotion: Selection  Direct Recruitment: Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p>B.Sc in Human Science / Life Science / Medical Technology Operation Theatre Course or Equivalent</p> <p><b>OR</b></p> <p>B.Sc. (Theatre Technology) or equivalent including training in ICU, Manifold Room and CSSD from a recognized Institution / University.</p> <p><b>OR</b></p> <p>i. 10+2 with Science and two years Diploma in Theatre Technology from a recognized Institution / University</p> <p>ii. Minimum 1 year experience as</p>	No	Two years for direct recruit and Promotees	By promotion failing which by direct recruitment



Technician in OT, ICU, Manifold room and CSSD in a reputed institution.			
In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12		13
<b>Promotion:</b> OT Assistant Grade II in Level 2 of Pay Matrix with 13 years of regular service in the grade.	1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Under Secretary - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)		Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Technician Endoscopy / Colonoscopy</b>	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. 10+2 with Science. ii. B.Sc./Diploma in Endoscopy Technology from a recognized Institution / University iii. 3 years experience in Hospital in concerned (Endoscopy / Colonoscopy) field	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Technician (Nuclear Medicine)</b>	4* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. B.Sc in any discipline ii. M.Sc. (Nuclear Medicine) iii. Radiation Safety Officer Certificate <b>Or</b> i. B.Sc in any discipline ii. Diploma in Medical Radiation and Isotope Techniques (DMRIT) Course or equivalent iii. Radiation Safety Officer Certificate	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS- Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Superintending Engineer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level - 13 of the Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	By promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<b>Promotion:</b> Executive Engineer (Civil)/Executive Engineer (Electrical) in Level-11 in the Pay Matrix with 10 (ten) years of regular service in the grade. <b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry -Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)	Not applicable

<p>Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:</p> <p>A.1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. with 5/10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 12/11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</p> <p><b>B.</b>Possessing the following educational qualification:</p> <p>Bachelor Degree in Civil / Electrical Engineering from a recognized University</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>- Member</p> <p>4. An expert in the relevant subject - Member*</p> <p>5. A co-opted member from SCs/STsMember*</p> <p>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	
---	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Executive Engineer (Civil)</b>	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Promotion: Selection Direct Recruitment Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute with 07 years' practical experience in planning designing and construction work	No	Two years for direct recruit and promotees	By Composite Method (Deputation (ISTC) /Promotion) failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b><u>Deputation (ISTC) / Promotion</u></b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University /Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department. 3. with 09 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 7 of the Pay Matrix or equivalent in supervisory capacity in the parent cadre /department and</p> <p><b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7</p> <p><b>Note:</b> The Departmental Assistant Engineer (Civil) in level 7 of the pay matrix with 09 years' regular service in the Grade shall also be considered along with deputationist and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion. The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A co-opted member from SCs/STs -Member*</li> <li>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Assistant Engineer (Civil)</b>	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 7 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute with 3 years' practical experience in planning designing and construction work	No	Two years for Direct Recruit	Composite Method: Deputation (Including Short Term contract (ISTC))/Promotion) failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b><u>Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/Promotion:</u></b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.1.</b> Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</p> <p><b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7:</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>If the Departmental Candidate (Junior Engineer (Civil)) in Level – 6 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Assistant Engineer (Electrical)</b>	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 7 of Pay Matrix	Promotion: Selection Direct Recruitment: Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institute with 3 years' practical experience	No	Two years for direct recruit	By Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> Junior Engineer (Electrical) in Level 6 in the Pay Matrix with 05 (five) years of regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation (ISTC):</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:</p> <p>A.1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 6 of the Pay Matrix or equivalent in the parent</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs -Member*</li> <li>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

cadre /department and  <b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7.  <b>Note:</b>  The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		
---	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Junior Engineer (Civil)</b>	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute  OR  Three years Diploma in Civil Engineering from a recognized Polytechnic/Institute.	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) -Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary)-Member	Not applicable



	4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS- Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
--	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Junior Engineer (Electrical)</b>	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Bachelor's Degree in Electrical Engineering or Electronics Engineering from a recognized University or Institute  OR  Three years Diploma in Electrical Engineering or Electronics Engineering, from a recognized Institute	No	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member*	Not applicable

5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Bio-Medical Engineer	01* (2023) *Subject to dependent workload variation on	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
1. B.Tech / B.E. in Electronics or Bachelor's Degree in Bio Medical Engineering from a recognized University 2. Five years' experience in a relevant field in a Medical Institute in installation and maintenance of medical equipment	No	Two years for direct recruits	Composite Method: (Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/ Promotion failing which by Direct Recruitment	<b><u>Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/Promotion:</u></b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University /Recognized Research Institution: <b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and <b>B.</b> Possess educational qualification and experience

				<p>prescribed under column 7</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Departmental Bio-Medical Engineer in level 10 of Pay Matrix with 5 years' of regular service in the Grade shall also be considered along with deputationist and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Bio-Medical Engineer</b>	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level - 10 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees</b>	<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1. B.Tech/B.E. in Electronics or Bachelor's Degree in Bio Medical Engineering from a recognized University. 2. Three years' experience in a relevant field in a Medical Institute in installation and maintenance of medical equipment	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

<b>In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Not applicable	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

<b>Name of the post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Level in the Pay Matrix</b>	<b>Whether selection post or non-selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Wireman</b>	05* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level - 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriculation or equivalent from a recognized University / Board.</li> <li>2. Diploma or ITI Certificate in the Trade of Electrician with field experience of two years.</li> <li>3. Electrical Supervisory Certificate of competence issued by competent authority.</li> </ol>	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Under Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Senior Stores Officer</b>	01* (2023) *Subject to dependent workload variation on	Group 'A'	Level 11 of Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p><b>By Composite Method:</b> (Deputation (ISTC) / Promotion)</p>	<p><b>Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/ Promotion:</b> Officers of the Central Govt. / State Government / Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory Bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or</li> <li>2. With 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department and</li> </ol> <p><b>B. Possessing the following educational qualification:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Degree of a recognized University or equivalent;</li> <li>ii. Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Materials Management of a recognized University/ Institution or equivalent; and</li> <li>iii. Not less than 5 years' experience in a supervisory capacity in handling stores; preferably medical.</li> </ol> <p><b>Note:</b> The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. If the Departmental Candidate Stores Officer in Level-10 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post: it shall be treated as having been filled by promotion.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary - Member looking after the work of the Institute in the Ministry 3. Representative of North Eastern Council (NEC), - Member Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Deputy Financial Adviser</b>	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 12 of the Pay Matrix  (The original pay scale is Level-13 of Pay Matrix and the pay scale has been downgraded to Level-12 till July 2024)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	<b>Deputation:</b> Officers from any of the Central/State Government organized Finance / Accounts Services or Subordinate Finance / Accounts Services or Officers in the Finance/ Account Departments of Central Statutory/ Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking  <b>A.</b> 1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or

				<p>2. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department out of which at least 3 years' experience in Accounts or</p> <p>3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department out of which at least 5 years' experience in Accounts.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
<b>12</b>	<b>13</b>
1. AS & FA 2. Joint Secretary concerned, MoHFW 3. Director, NEIGRIHMS	- Chairman - Member - Member  Not applicable

*Note: These Recruitment Rules of Deputy Financial Adviser are valid till July, 2024 if the pay of the post is restored at Level 13. These Recruitment Rules will continue if post is kept downgraded at Pay Level – 12.*



Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Accounts Officer</b>	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<p><b>Essential:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Degree from a recognized University</li> <li>years' experience in the Accounting works as Assistant Accounts Officer or equivalent in an Office under Central Government / State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research Institution on regular basis in Level-8 of Pay Matrix or</li> <li>years' experience in the Accounting works as Assistant Accounts Officer or equivalent in an Office under Central Government/ State</li> </ol>	Not applicable	2 (two) years for direct recruits and promotees	By Promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment	<p><b>Promotion:</b> From Assistant Accounts officer of the Institute with 5 Years ' regular service in Level -7 of Pay Matrix and undergone successful training in cash and accounts work in ISTM or have passed Subordinate Accounts Service examination.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or</li> <li>With 4 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level- 8 of the Pay Matrix or equivalent</li> </ol>

<p>Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/Stat utory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research Institution on regular basis in Level-7 of Pay Matrix</p> <p>4. Should have passed Subordinate Accounts Service examination.</p>				<p>in the parent cadre/ department or</p> <p>3. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-7 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department and</p> <p><b>B.</b>Should have passed Subordinate Accounts Service examination.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--	--

<b>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>12</b>	<b>13</b>
<p>1. Director, NEIGRIHMS - Chairman</p> <p>2. Director / Deputy Secretary looking after - Member the work of the Institute in the Ministry</p> <p>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)</p> <p>4. An expert in the relevant subject - Member*</p> <p>5. A co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>6. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	<p>Not applicable</p>

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Accounting Assistant</b>	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 4 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b>  Graduate from a recognized University	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member Shillong (not below the rank of Under Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Administrative Officer</b>	02* (2023) *Subject to variation	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Selection in case of	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants)

	dependent on workload			promotion	upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
--	-----------------------	--	--	-----------	---

<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees</b>	<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Essential:</b> i. Graduate from a recognized University ii. With five years regular service in Level 7 of Pay Matrix or equivalent iii. At least five years' experience in establishment and administrative work preferably in a hospital / Medical Institution	No	2 (two) years for direct recruits and promotees	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

<b>In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Promotion:</b> Assistant Administrative Officer of the Institute with 5 (five) years regular service in Level – 7 of Pay Matrix <b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution: A.1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 04 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 08 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department or 3. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 07 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director / Deputy Secretary - Member looking after the work of the Institute in the Ministry 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Deputy Secretary)- Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

<p>department and</p> <p><b>B.</b> Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Assistant Administrative Officer</b>	05* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 7 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	By promotion failing which Deputation (ISTC)

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> Office Superintendent of the Institute with 5 (five) years regular service in Level – 6 of Pay Matrix</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:</p> <p>A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol>	Not applicable

cadre/department; or  2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department with good knowledge of Central Govt. rules related to medical Institute / College  <b>Note:</b>  The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
---	---	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Office Superintendent</b>	14* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants' upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<b>Essential:</b>  i. Graduate from a recognized University / Institute  ii. With 10 years' experience as Upper Division Clerk or equivalent under Central Govt/State Govt/Union Territories/ Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institute on regular basis in Level – 4 of the Pay Matrix or equivalent	No	2 (two) years for direct recruits and promotees	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

<b>Desirable:</b> Having Proficiency in computer application			
---	--	--	--

<b>In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<p><b>Promotion:</b> From UDC of the Institute with 10 years' regular service in Level – 4 of Pay Matrix</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-4 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</p> <p><b>B.</b> Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS – Member Secretary</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

<b>Name of the post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Level in the Pay Matrix</b>	<b>Whether selection post or non-selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Upper Division Clerk (UDC)</b>	21* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 4 of Pay Matrix	Non-Selection in case of promotion	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b></p> <p>i. Graduate from a recognized University / Institute</p> <p>ii. Having proficiency in computer application</p> <p>iii. A typing speed of 35 words per minute in English on computer</p> <p>(NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average of 5 key depressions for each word).</p>	No	2 (two) years for direct recruits	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> From LDC of the Institute with 8 years' regular service in Level – 2 of Pay Matrix</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:</p> <p>A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. with 8 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-2 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department or</p> <p>B. Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department of the</p>	<p>1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson</p> <p>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</p> <p>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</p> <p>4. An expert in the relevant subject –Member*</p> <p>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable



Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		
---	--	--

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
As stated at Column 10	1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member 4. An expert in the relevant subject Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
CSSD Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 07 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<b>Essential:</b> 1. M.Sc Microbiology or Pharmacology or Medical Technology (Microbiology) 2. 5 years' experience in Central Sterilization (CSSD) or Operation Theatre in a	No	Two years for direct recruit	By promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) failing both by Direct Recruitment

hospital/Research Organization or any Pharmaceutical organization			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> CSSD Supervisor in Level – 6 of Pay Matrix with 5 (five) years' regular service in the Grade.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:</p> <p>1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>2. CSSD Supervisor with 05 years' service rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</p> <p>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</p> <p>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</p> <p>4. An expert in the relevant subject - Member*</p> <p>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>CSSD Assistant Grade-I</b>	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 04 of Pay Matrix	Non-Selection in case of promotion Not Applicable in case of direct recruitment	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b></p> <p>B.Sc Microbiology or Pharmacology or Medical Technology (Microbiology) with 1 year' experience in CSSD of a Hospital or Pharmaceutical or Operation Theatre in a Hospital.</p> <p>OR</p> <p>i. Nursing Officer with 1 year' experience in Operation Theatre / CSSD.</p> <p>ii. Should be registered with the Indian Nursing Council / State Nursing Council</p> <p>OR</p> <p>Theatre Assistant Course / CSSD Diploma Course with 2 years' experience in CSSD / Operation Theatre.</p> <p>OR</p> <p>12<sup>th</sup> with Science from a recognized University / Board with 3 years' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital</p>	No	Two years for direct recruit	By promotion failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> CSSD Assistant Grade-II in Level 2 of the Pay Matrix with eight years' regular service in the Grade.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>CSSD Assistant Grade-II</b>	05* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<b>Essential:</b> Theatre Assistant Course / CSSD Diploma Course with 1 year' experience in CSSD/Operation Theatre.  OR 12 <sup>th</sup> with Science from a recognized University / Board with 1 year' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Superintendent Physiotherapist</b>	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Two years for promotees	By Promotion

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<b>Promotion:</b> Physiotherapist in Level – 6 of the Pay Matrix with 12 (twelve) years of regular service in the grade.	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs -Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Physiotherapist</b>	07* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees</b>	<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Essential:</b> Degree in Physiotherapy from a recognised University OR Diploma in Physiotherapy from a recognised University with 3 years' experience in a Hospital	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

<b>In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Not applicable	1. Director NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Administration) NEIGRIHMS – Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

<b>Name of the post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Level in the Pay Matrix</b>	<b>Whether selection post or non-selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Senior Occupational Therapist</b>	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>	<b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees</b>	<b>Period of probation, if any</b>	<b>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods</b>
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Not applicable	No	Two years for promotees	By Promotion

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Promotion:</b> Occupational Therapist in Level – 6 of the Pay Matrix with 10 (ten) years of regular service in the grade.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A co-opted member from SCs/STs -Member*</li> <li>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
<b>Occupational Therapist</b>	02* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<p><b>Essential:</b> Degree in Occupational Therapy from a recognised University  OR Diploma in Occupational Therapy from a recognised University with 3 years' experience in a Hospital</p>	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

<b>In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made</b>	<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Not applicable	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director (Administration) NEIGRIHMS – Member Secretary</li> </ol> (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS

[ADVT.-III/4/Exty./123/2024-25]